

289

165

श्री मान् राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रोबा



सुशीलबन्धु वर्मा पिता श्री रामनारायण वर्मा, उम्र 52 साल, निवासी ग्राम रायपुर कर्बुं थाना/तहसील रायपुर कर्बुं जिला रोबा म०प्र०

निगरानीकर्ता

बनाम
=====

व्याघ्रदेव सिंह पिता स्व. श्री विष्णुदेव सिंह, निवासी ग्राम रामनई तहसील रायपुर कर्बुं जिला रोबा म०प्र० गैर निगरानीकर्ता

श्री अजय पाठक द्वारा पेश 13.7.16
13.7.16

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक महो० वृत्त रायपुर कर्बुं के सीमॉकन प्र० क्र० 134ए/2015-2016 आदेश दिनांक 16-6-2016 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० संहिता सन् 1959 ई० ।

मा न्यबर

निगरानी के आधार निम्न है :-

§ 1§ यह कि राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर कर्बुं जिला रोबा म०प्र० का सीमॉकन आदेश बिधि एवं प्रकृया के विधरोत है, जो निरस्त योग्य है ।

§ 2§ यह कि ग्राम रायपुर कर्बुं की आ०नं० 1015, 1016, 1017, 1018 1019, 1020 1021 तहसील रायपुर कर्बुं का निगरानीकर्ता भूमिस्वामी था उक्त भूमियाँ एक दूसरे से लगी हुई हैं, उक्त सभी भूमियों का एक साथ सीमॉकन का विहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार रायपुर कर्बुं के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्बुं द्वारा 19-12-1985 को सीमॉकन कर फील्ड बुक सहित प्रतिवेदन तहसीलदार रायपुर कर्बुं को भेजा गया था, प्रतिवेदन अनुसार प्र० क्र० 8ए/12/85-86 आदेश दिनांक 26-12-85 को सीमॉकन की मुडिट की गई । सीमॉकन में आ०नं० 1021 के दक्षिणी सीमा

सुशीलबन्धु वर्मा 11/कमरा:11

165

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5316-III/16 जिला शिवा

श्री लक्ष्मण वर्मा विरुद्ध व्यापक सिंह

1	2	3
16179-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अजय पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त शम्भुपुर तहसील शम्भुपुर के प्रकरण क्रमांक 134/25-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16.06.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को कलेक्टर शिवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य